



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052024-253999
CG-DL-E-01052024-253999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2024/वैशाख 10, 1946

No. 245]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2024/VAISAKHA 10, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 266(अ).—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निस्तारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के पद के समवर्ती प्रभार की अवधि को 30.04.2024 से एक वर्ष की अवधि तक के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. बीएच.-11014/1/2012-बीएच.]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 266(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Shri Justice Anil Verma, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from 30.04.2024 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. BH-11014/1/2012-BH]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.